भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 411
उत्तर देने की तारीख 27 नवंबर, 2024

डिजिटल भारत निधि

411. श्री जगदम्बिका पालः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार नए अधिसूचित डिजिटल भारत निधि नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है; और

(ख) ये नियम वंचित समुदायों हेतु दूरसंचार तक पहुंच बढ़ाने में किस प्रकार मदद करेंगे?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत 'डिजिटल भारत निधि' नियम दिनांक 30.08.2024 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा हितधारकों और नागरिकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रेस अधिसूचना और सोशल मीडिया प्रचार भी किया गया था।

(ख) इन नियमों में अल्पसेवित ग्रामीण, सुदूरवर्ती और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित दूरसंचार उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और साथ ही महिलाओं, दिव्यांगों तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे समाज के अल्पसेवित समूहों के लिए दूरसंचार सेवाओं तक लक्षित पहुंच उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है। डीबीएन भारतनेट, 4जी सैचुरेशन परियोजना, आकांक्षी जिलों

के सेवा से वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवा का प्रावधान, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, द्वीपसमूहों में मोबाइल सेवाएं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, मेघालय में मोबाइल सेवाएं, अरुणाचल प्रदेश में और असम के 2 जिलों में मोबाइल सेवाएं, चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी, कोच्चि से लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी को शामिल करके कई स्कीमों और परियोजनाओं को कवर करता है।

*****